न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –
66/2013 वाद पत्र

तारीख दायर
14.06.2013

तारीख फैसला
14.10.2019

उनवान

1. कल्याण पिता भूरा लाल धाकड़ निवासी शाहपुरा
1/1 बालूराम पिता रामकरण धाकड़ निवासी शाहपुरा
1/2 मोड़ुराम पिता रामकरण धाकड़ निवासी शाहपुरा
1/3 ज्ञानचन्द पिता रामकरण जी धाकड़ निवासी शाहपुरा
2. गोपाल पिता भूरालाल धाकड़ निवासी शाहपुरा
3. मु0 रामप्यारी पुत्री भुरालाल धाकड़ निवासी शाहपुरा
4. मु0 बाली पुत्री भुरा जी धाकड़ निवासी शाहपुरा

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरयै तहसीलदार शाहपुरा
2. अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

## वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित :– वादी अभिभाषक – कल्याण मल धाकड़
प्रतिवादी की तरफ से अभिभाषक :– पेरोकार सरकार

## –:: निर्णय ::–

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में स्थित कृषि आराजी नम्बर 3863 रकबा 0.18 हैक्ट0 किस्म गैमु0 वाड़ा स्थित है। जिस पर वादीगण का कब्जा होकर उनके ही काश्त व उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। उक्त कृषि आराजी के पडौस निम्न है।

पूर्व– कृषि मण्डी का रास्ता
पश्चिमः– देबीलाल धाकड़ का वाडा
उत्तरः नहर
दक्षिणः– जहाजपुर रोड

उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पिता भूरा पिता धुला धाकड़ को आवंटित हुई थी जो बाद में वादीगण के पिता के खाते में दर्ज की जाकर उक्त आराजी के भू– प्रबंध से पूर्व आराजी के नम्बर 1630 रकबा 07 बिस्वा एवं 1630 मी0 रकबा 07 बिस्वा किता 02 रकबा 14 बिस्वा दर्ज थी जिस पर आवंटन की दिनांक से वादीगण के पिता काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग में ले रहे है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है । वाद में वर्णित आराजीयात को नक्शे में सेटलमेंट के पश्चात् जिस जगह राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा फिट किया गया उस जगह वादीगण काबिज नहीं है सेटलमेंट के पश्चात् वादीगण को नक्शे में गलत जगह फिट कर दिया गया जबकि वादीगण अपने पिता के समय एवं आवंटन के दिनांक से ही पेरा संख्या 01 में वर्णित पाड़ौसान के मध्य काबिज होकर काश्त चलते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सेटलमेंट राजस्व रेकार्ड तैयार करते समय नक्शे में जिस जगह फिट किया वहां पर सार्वजनिक पौ स्थित है। जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर स्थित है जबकि वादीगण जिस जगह काबिज है वहां पर उन्हें नये नक्शे में फिट नहीं किया गया है । वादीगण अपने पिता के समय से ही आराजी नम्बर 4254 व 3861 के पश्चिम दिशा में स्थित कृषि मण्डी के सहारे सहारे बदिशा पश्चिम में काबिज होकर काश्त चलते आ रहे है।

वादीगणों द्वारा उपरोक्त इन्द्राज दुरस्त हेतु प्रतिवादी को पंजीबद्ध सूचना पत्र भी दिलवाया गया परन्तु अवधि अवसान उपरान्त भी कार्यवाही नहीं करने के कारण वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज कर जरिये समन प्रतिवादीगणों को तलब किया गया। जिस पर पेराकार सरकार द्वारा दिनांक 27.10.2009 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये गये। कमिश्नर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उसका जवाब शामिल फाईल कर कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर शामिल फाईल की गई। साक्ष्यवादी में वादी कल्याण का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ, जिससे प्रतिवादीगणों द्वारा जिरह की गई। साक्ष्यवादी में दूसरे गवाह पीडब्ल्यू 2 बरदा पिता नारायण धाकड़ प्रस्तुत हुआ। जिससे जिरह हुई। प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये। वादी संख्या 1 कल्याण द्वारा अपना हिस्सा वादी संख्या 1/1, 1/2, एवं 1/3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिये जाने से उक्त खरीददारों द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत हुआ, जो स्वीकार किया गया। पत्रावली में जो संसोधित अनवान प्रस्तुत हुआ जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादीगणों को कई अवसर देने के पश्चात् भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए जाने से उनके साक्ष्य बन्द की गई। बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई।

पत्रावली पर बहस पर मनन एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् एवं प्रदर्शित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

## –:: आदेश ::–

वाके ग्राम शाहपुरा में स्थित वादीगणों की आराजी संख्या 3863 रकबा 0.18 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर उत्तरी दिशा की तरफ यथावत रखते हुये शेष रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किये जाने एवं इसकी एवज में आराजी 3860 रकबा 2.68 हैक्टेयर में से कब्जे अनुसार 0.16 हैक्टेयर उत्तर की तरफ नहर के सहारे वादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3 के 1/2 हिस्से एवं वादी संख्या 2 के 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। इसी अनुसार इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किये जावें एवं नक्शें में तरमीम किये जावें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6 / 7 व्यवहार विधि)

समक्ष अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन श्री महावीर प्रसाद नायक, (आरएएस) सहायक कलेक्टर
समक्ष

1. कन्हैया पिता पूरा लाल नायक निवासी शाहपुरा
1/1 बाबूराम पिता रामनारायण नायक निवासी शाहपुरा
1/2 गोकुलराम पिता रामनारायण नायक निवासी शाहपुरा
1/3 ज्ञानचन्द पिता रामनारायण जी नायक निवासी शाहपुरा
2. गोपाल पिता पूरालाल नायक निवासी शाहपुरा
3. मु0 रामप्यारी पुत्री पूरालाल नायक निवासी शाहपुरा
4. मु0 कांली पुत्री पूरा जी नायक निवासी शाहपुरा

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा

—प्रतिवादीगण

## वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर 66 सन् 2013 राजस्व वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई व ..................X.................................. मिनजानिब मुद्दालेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वादी ग्राम शाहपुरा में स्थित वादीगणों की आराजी संख्या 3863 रकबा 0.18 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर उत्तरी दिशा की तरफ यथावत रखते हुये शेष रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किये जाने एवं इसकी एवज में आराजी 3860 रकबा 2.68 हैक्टेयर में से कब्जे अनुसार 0.16 हैक्टेयर उत्तर की तरफ नहर के सहारे वादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3 के 1/2 हिस्से एवं वादी संख्या 2 के 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। इसी अनुसार इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किये जावें एवं नक्शे में तरमीम किये जावें।

मिज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शरह फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करें।

बावत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 14 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

(महावीर प्रसाद नायक)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner